न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/166

दायरा तिथि : 16.05.2022

आदेश तिथि : 22-09-2022

प्रार्थी :–

सुशील कुमार पुत्र खुमाराम जाति गारो
निवासी बिसलपुर तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. कन्हैयालाल पुत्र छोगाराम
2. चम्पालाल पुत्र छोगाराम
3. धापूदेवी पत्नी गणेशराम
4. नाबालिग जिगर पुत्र गणेशराम सरंक्षक माता धापूदेवी
5. नाबालिग यमुना पुत्री गणेशराम संरक्षक माता धापूदेवी
6. पानी पत्नी छोगाराम
7. महेन्द्रकुमार पुत्र छोगाराम
8. मोहनलाल पुत्र छोगाराम
9. रमेश कुमार पुत्र छोगाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण भाटून्द तहसील बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक : 22-09-2022

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 907 रकबा 0.5900 हैक्टर भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 908 रकबा 0.9500 हैक्टर तथा राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 909 रकबा 0.0900 हैक्टर मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2477 दिनांक 05.08.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 907 रकबा 0.5900 हैक्टर किस्म चाही सोयम व जाव सोयम की भूमि श्री सुशील कुमार पुत्र श्री खुमाराम जाति गारो निवासी बिसलपुर के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है तथा खातेदारी भूमि के पीछे स्थित नाला की भूमि से आना जाना करते है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर 917 से नाला लगता हुआ है।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	908	0.95	चा.दो. जा.दो.	100 X 5 = 500 वर्गमीटर	1. कन्हैयालाल पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 2. चम्पालाल पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 3. धापूदेवी पत्नि गणेशराम हिस्सा- 1/21 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार

पेज लगातार—2

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/166

अनवान सुशील बनाम कन्हैयालाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
					4. नाबालिग नाबा. जिगर पुत्र गणेशराम सरंक्षक माताधापूदेवी हिस्सा- 1/21 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 5. नाबालिग नाबा. यमुना पुत्री गणेशराम सरंक्षक माताधापूदेवी हिस्सा- 1/21 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 6. पानी पत्नि छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 7. महेन्द्रकुमार पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 8. मोहनलाल पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 9. रमेशकुमार पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार,
2	909	0.09	गै.मु. रास्ता	2 X 5 = 10 वर्गमीटर	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम भाटून्द की डी.एल.सी.दर 459932/— रूपये प्रति हैक्टर है ।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है। लिहाजा उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 907 रकबा 0.5900 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/196 दिनांक 28.01..2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। धारा 251(ए) के तहत निकटतम रूट से रास्ता दिये जाने के प्रावधान हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों/शक्तियों के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 907 रकबा 0.5900 हैक्टर किस्म चाही सोयम जाव सोयम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि **ग्राम** भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 908 रकबा 0.9500 हैक्टर तथा राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भाटून्द पटवार हल्का, भाटून्द तहसील बाली के खसरा नंबर 909 रकबा 0.0900 हैक्टर गैरो **500+10=510** वर्गमीटर **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।
राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :—

पेज लगातार——3

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/166

अनवान सुशील बनाम कन्हैयालाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

ख. न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 459932/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व. मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)	नाम खातेदार
908	0.95	100 X 5 =500 वर्गमीटर	46	23000X2=46000	1. कन्हैयालाल पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 2. चम्पालाल पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 3. धापूदेवी पत्नि गणेशराम हिस्सा- 1/21 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 4. नाबालिग नाबा. जिगर पुत्र गणेशराम सरंक्षक माताधापूदेवी हिस्सा- 1/21 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 5. नाबालिग नाबा. यमुना पुत्री गणेशराम सरंक्षक माताधापूदेवी हिस्सा- 1/21 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 6. पानी पत्नि छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 7. महेन्द्रकुमार पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 8. मोहनलाल पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार 9. रमेशकुमार पुत्र छोगाराम हिस्सा- 1/7 जाति- कुम्हार सा. देह खातेदार,
909	0.09	2 X 5 = 10 वर्गमीटर	46	460X2=920	राजकीय सिवाय चक भूमि
कुल		**510 वर्गमीटर**		**46920/–**	

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि 46000/– **अक्षरे छियालीस हजार रूपये** मात्र आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी तथा 920/–**अक्षरे नौ सौ बीस** रूपये राजकोष में जमा कराई जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धार्यगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली

पेज लगातार––4

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022 / 166

अनवान सुशील बनाम कन्हैयालाल वगैरा

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियमम, 1955

दिनांक : 22-09-2022

क्रमॉक / कोर्ट / 2022 / 3495-99

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3. पटवारी हल्का, भाटून्द
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री सुशील कुमार पुत्र खुमाराम जाति गारो निवारी बिसलपुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner